Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. RD/1/2019/MCVL1/SEOTH/RU-III **Date: 23.12.2019**

To,

Chairman and Managing Director,
Air India Limited,
Airlines House, 113,
Gurudwara Rakabganj Road,
New Delhi - 110 001

Sub: Minutes of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST on 19.11.2019 on the issue of by alleged discrimination and harassment by the Management of Air India.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 19-11-2019 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within one month.

Encl: As above

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy to:

1. Shri. Rahul Deore,
   B-160, New Air India Colony,
   Kalinga, Santacruz (E),
   Mumbai (Maharashtra) -400029
2. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- RD/1/2019/MCVL1/SEOTH/RU-III)

श्री राहुल देवरे, बी-160, न्यू एअर इंडिया कॉलोनी, कलिंगा, सांताक्रूज (ई) मुंबई, महाराष्ट्र की एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा भेदभाव और उत्पीड़न करने के विषय में की गई शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 19.11.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री राहुल देवरे, बी-160, न्यू एअर इंडिया कॉलोनी, कलिंगा, सांताक्रूज (ई) मुंबई, महाराष्ट्र ने आयोग में एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा भेदभाव और उत्पीड़न करने के विषय में शिकायत की थी।
2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पिछली बैठक की गई थी जिसमें की गई अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं-
   - एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा 5 वर्षों के लिए पदक्रम में कटौती कर एक पद नीचे पदास्थापित करने के बजाए न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए जैसा कि अन्य मामलों में दिया गया है।
   - अभ्यावेदक की सेवा उप मुख्य केबिन क्रू (Deputy Chief Cabin Crew) के पद पर सभी लाभों के साथ जारी रहनी चाहिए।
   - अभ्यावेदक की अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा बरकरार रहनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
3. माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 19.11.2019 को बैठक आहूत की गई जिसमें एअर इंडिया की ओर से सुश्री मीनाक्षी कश्यप, जीएम-आईआर, श्री विकास गुप्ता, एस.आर.एजीएम तथा नागर विमानन मंत्रालय की ओर से श्री प्रांजोल चंद्रा उपस्थित हुए।
4. आयोग द्वारा पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, अभ्यावेदक ने बताया कि वे पिछले 14 वर्षों से एअर इंडिया में कार्यरत हैं। उनसे पिछले वर्ष जाने-अनजाने में कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ था। इस मामले में आयोग में पहले सुनवाई हो चुकी है और आयोग द्वारा न्यूनतम सजा देने की अनुशंसा की गई थी। प्रबंधन ने

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्रवाई करते हुए उनकी पदावनति कर दी तथा साथ ही 5 वर्ष तक के लिए घरेलू उड़ान में नियुक्त किया है। विदेश जानेवाली उड़ानों से उनकी ड्यूटी हटा दी गई है जिसके कारण उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

5. एअर इंडिया की प्रतिनिधि अधिकारी ने बताया कि श्री देवरे व्हाइट बॉडी एअर इंडिया में कार्यरत थे। कार्य के दौरान एक अमरीकी उड़ान में उनके पास से निर्धारित सीमा से काफी अधिक मात्रा में अमरीकी डॉलर अमरीकी बॉर्डर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। इसके अलावा कस्टम विभाग द्वारा भी मुंबई में इनके पास से काफी अधिक मात्रा में विदेशी वस्तुएं बरामद की गई थीं जिस पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए श्री देवरे को पदावनति की सजा दी गई। इन्हें एक पद नीचे किया गया है तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए घरेलू उड़ान में भेजा गया है। वर्तमान में श्री देवरे प्रशिक्षण पर हैं।
6. अभ्यावेदक ने बताया कि कई ऐसे मामले हैं जिनमें उनसे बड़े अपराध में भी कम सजा दी गई है। उनके द्वारा 14 वर्ष की नौकरी में पहली बार गलती हुई है इसलिए उन्हें इस तरह की कठोर सजा नहीं मिलनी चाहिए।
7. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की -

   एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा श्री राहुल देवरे के मामले में उन्हें दी गई सजा की पुनः एक बार समीक्षा करनी चाहिए और यथा संभव सजा में कमी करनी चाहिए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

12.12.09

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- RD/1/2019/MCVL1/SEOTH/RU-III)

श्री राहुल देवरे, बी-160, न्यू एअर इंडिया कॉलोनी, कलिंगा, सांताक्रूज (ई) मुंबई, महाराष्ट्र की एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा भेदभाव और उत्पीड़न करने के विषय में की गई शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	डॉ. नंद कुमार साय,	माननीय अध्यक्ष महोदय
(2.)	श्री हरिकृष्ण डामोर,	माननीय सदस्य
(3.)	श्री ए. के. सिंह,	सचिव
(4.)	श्री के. तऊथांग,	संयुक्त सचिव
(5.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(6.)	श्री आर. के. दुबे,	स. निदेशक
(7.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **एअर इंडिया के अधिकारी**

(1.)	सुश्री मिनाक्षी कश्यप,	जीएम-आई आर
(2.)	श्री विकास गुप्ता,	एसआर. एजीएम

- **नागर विमानन के अधिकारी**

(1.)	श्री प्रांजोल चंद्रा,	निदेशक

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्री राहुल देवरे